

Printed
5 pages

89

पूर्वोत्तर रेलवे



1
11/2/2018

कार्यालय
महाप्रबन्धक कार्मिक)
गोरखपुर।

ई0पी0सं0-20-5

क्रमांक-112/2018

सं0 ई/540/मेडिकल मैनुअल/चार

दिनांक 10-07-2018

सचिव/महाप्रबन्धक
सचिव/अपर महाप्रबन्धक
सभी विभागाध्यक्ष
सभी मण्डल रेल प्रबन्धक
सभी कार्मिक अधिकारी
सभी मुख्य कारखाना प्रबन्धक
सभी अतिरिक्त मण्डलाधिकारी/स्थापना
पूर्वोत्तर रेलवे।

विषय:-सेवारत रेल कर्मचारियों एवं पेंशन भोगियों के आश्रित बच्चों के लिए
चिकित्सा सुविधाओं के लिए 25 वर्षों की आयु सीमा हटाना।

रेलवे बोर्ड का पत्र सं0 2017/एच-1/2/10/आरसीएफ दिनांक 13.06.2018
(संलग्नक सहित)की अंग्रेजी एवं हिन्दी प्रतिलिपि सूचना, मार्गदर्शन एवं आवश्यक कार्यवाही
हेतु संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।

रेलवे बोर्ड का संदर्भित पत्र दिनांक 16.02.2009 एवं 22.02.2018 इस कार्यालय के
समसंख्यक परिपत्र दिनांक 27.02.2009 (क्रमांक-50/2009) एवं दिनांक 12.03.2018
(क्रमांक-22/2018) द्वारा पूर्व में परिचारित किया जा चुका है।

संलग्नक/यथोपरि

(आर0क0प0प0ड0य)

सकाधि/मुख्या0-11

कृते महाप्रबन्धक/कार्मिक

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- महामंत्री/एन.ई.रेलवे मजदूर यूनियन/गोरखपुर - 40 प्रतियों में।
- 2- महामंत्री/प्रमोटी अधिकारी संघ/पूउरे/गोरखपुर - 02 प्रतियों में।
- 3- महामंत्री/रेसुब एशोसियेशन/पूउरे/गोरखपुर - 02 प्रतियों में।
- 4- पूर्वोत्तर रेलवे प्रथम श्रेणी अधिकारी संघ/गोरखपुर - 01 प्रति में।
- 5- महामंत्री/एससी/एसटी एवं ओबीसी एशोसियेशन/गोर0-02 प्रतियों में।
- 6- मुकार्याधी/एमपीपी को बेबसाइट पर अपलोड हेतु - 01 प्रति में।

कृते महाप्रबन्धक/कार्मिक

54/18

2
11/2/2018
25

भारत सरकार/GOVERNMENT OF INDIA
रेल मंत्रालय/MINISTRY OF RAILWAYS
(रेलवे बोर्ड/RAILWAY BOARD)

02.07.18
मुकाबिल
दस्तावेज / प्रमाण

07.07.18
APC/18-11

सं. No. 2017/H-1/2/10/R.C.F.

नई दिल्ली, New Delhi, दिनांक dated 18.06.2018

The General Manager,
All Indian Railways and Production Units,
The Director General/RDSO, Lucknow and
The Chief Administrative Officers, DMW, Patiala and Rail Wheel Plant, Bela, Patna.

Sub: Removal of age limit of 25 years of medical facilities for dependent children of serving Railway employees and pensioners.

Ref: Board's letters no.2008/H-1/2/15 dated 16.02.2009 and 22.02.2018.

The matter of providing medical facilities to son of Railway employees/pensioners after being unemployed has been under consideration of this Ministry due to various representations received from different forums. Similar representations have also been received on the issue of providing medical facilities to divorced or widower son. Ministry of Railways has decided not to provide the medical facilities, once a son gets employed/married though he becomes unemployed or divorced or becomes widower later on, as the case may be.

Advance Correction Slip (S. No. 02 Health 2018) amending Para 601 (5) of IRMM-2000 is enclosed.

Hannideh Sanhotra

(श्रीमती एच. के. सन्होत्रा/ Mrs. H. K. Sanhotra)

संयुक्त निदेशक-II, स्वा० / Jt. Director-II/Health

रेलवे बोर्ड/ Railway Board.

सं. No. 2017/H-1/2/10/R.C.F.

नई दिल्ली, New Delhi, दिनांक dated 18.06.2018

Copy for information and necessary action to:

1. The Principal Chief Medical Directors, CMOs, CMSs, All Indian Railways/PUs.
2. The Principal Chief Personnel Officers, All Indian Railways/PUs.
3. The Principal Finance Advisor, All Indian Railways/PUs.
4. The Principal Directors of Audit, All Indian Railways/PUs.

NE

crossed/ Ruling

5-7-18

55
04.7

1/12/18

Advance Correction Slip to Para 601 (5) of IRMM-2000

In para 601 (5) may be substituted as under:

Para 601 (5): . Ministry of Railways has decided not to provide the medical facilities, once a son gets employed/married though he becomes unemployed or divorced or becomes widower later on, as the case may be.

(Authority: Board's letter No. 2017/H-1/2/10/R.C.F. dated 18.06.2018)

भारत सरकार
रेल मंत्रालय
रेलवे बोर्ड

12/2018

सं. 2017/एच-1/2/10/आर.सी.एफ.

नई दिल्ली, दिनांक 18.06.2018

महाप्रबंधक,

सभी भारतीय रेलें एवं उत्पादन इकाइयां,

महानिदेशक/अअमासं, लखनऊ एवं

मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, डीएमडब्ल्यू, पटियाला एवं रेल पहिया प्लांट, बेला, पटना.

विषय: सेवारत रेल कर्मचारियों एवं पेंशनभोगियों के आश्रित बच्चों के लिए चिकित्सा सुविधाओं के लिए 25 वर्ष की आयु सीमा हटाना.

संदर्भ: बोर्ड का दिनांक 16.01.2009 एवं 22.02.2018 का पत्र सं. 2008/एच-1/2/15.

रेलवे कर्मचारियों/पेंशनभोगियों के पुत्र के बेरोजगार होने पर चिकित्सा सुविधाएं मुहैया कराने का मामला विभिन्न मंचों से प्राप्त विविध अभ्यावेदनों के कारण इस मंत्रालय के विचाराधीन है. तलाकशुदा अथवा विधुर पुत्र को चिकित्सा सुविधाएं मुहैया कराने के मुद्दे पर भी ऐसे ही अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं. रेल मंत्रालय ने निर्णय लिया है कि पुत्र की एक बार नौकरी लग जाने/विवाहित होने के बाद चिकित्सा सुविधा न दी जाए भले ही बाद में वह बेरोजगार अथवा तलाकशुदा अथवा विधुर हो जाए, जैसा भी मामला हो.

भारतीय रेल चिकित्सा नियमावली-2000 के पैरा 601 (5) में संशोधन के लिए अग्रिम शुद्धि पर्ची (क्र. सं. 2 स्वास्थ्य 2018) संलग्न है.

संयुक्त निदेशक-III

(श्रीमती एच. के. सन्होत्रा)

संयुक्त निदेशक-III/स्वास्थ्य

रेलवे बोर्ड

सं. 2017/एच-1/2/10/आर.सी.एफ.

नई दिल्ली, दिनांक 18.06.2018

प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित:

1. प्रधान मुख्य चिकित्सा निदेशक, मुख्य चिकित्सा अधिकारी, मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, सभी भारतीय रेलें/उत्पादन इकाइयां.
2. प्रधान मुख्य कार्मिक अधिकारी, सभी भारतीय रेलें/उत्पादन इकाइयां.
3. प्रधान वित्तीय सलाहकार, सभी भारतीय रेलें/उत्पादन इकाइयां.
4. प्रधान निदेशक लेखा परीक्षा, सभी भारतीय रेलें/उत्पादन इकाइयां.

5
12/2/18

भारतीय रेल चिकित्सा नियमावली-2000 के पैरा 601 (5) के लिए अग्रिम शुद्धि पच्ची

पैरा 601 (5) को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाए:

पैरा 601 (5): . रेल मंत्रालय ने निर्णय लिया है कि पुत्र की एक बार नौकरी लग जाने/विवाहित होने के बाद चिकित्सा सुविधा न दी जाए भले ही बाद में वह बेरोजगार अथवा तलाक़शुदा अथवा विधुर हो जाए, जैसा भी मामला हो.

(प्राधिकार: बोर्ड का दिनांक 18.06.2018 का पत्र सं. 2017/एच-1/2/10/आरं.सी.एफ.)